

भारत में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास हेतु योजना : एक अध्ययन

सारांश

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पूर्ण विकास हेतु विभिन्न उपबंध अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों के माध्यम से किया गया है। इनके शैक्षिक हितों का ख्याल रखकर ही तथा इनकी उचित शिक्षा (शैक्षिक उन्नति) द्वारा विकास करके समाज के मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल आबादी का 8.6% है। इस कुल आबादी का केवल 2.8% अनुसूचित जनजाति आबादी ही शहरों में रहती है। वहीं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.2% है। अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उडीसा, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में जहाँ पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अधिकांशतः हैं। जिनके विकास एवं कल्याणार्थ हेतु मंत्रालय द्वारा NSTFDC (2001), TRIFED (1987) आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्य कराया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान कार्यक्रम, शिक्षासंवर्धन, सूचना, जनसंचार, जेण्डर संबंधी मामलों के क्षेत्र में अत्याधिक ध्यान दे रहा है। 1944–45 से चल रही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रों को आगे की शिक्षा पूरी करने में मददगार साबित हो रही है। पुस्तक बैंक संबंधी योजना तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (2005–06) से जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के शोध छात्रों को उच्चर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। जनजातीय लोग भारत के आदिवासी होने के बावजूद काफी समय तक उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया जिससे उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व कम है। 2012 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 19.4 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजातियों का सकल नामांकन अनुपात मात्र 9.7 प्रतिशत है। इससे थोड़ा सा ज्यादा अनुसूचित जातियों का है। प्रस्तुत शोध सारांश के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत में जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सही मायने में विकास के लिए उनको शिक्षित बनाकर भारतीय संविधान के नियमों का सही क्रियान्वयन, कुशल प्रशासनिक निगरानी तंत्र प्रयोग और देश के अन्य नागरिकों के आपसी सहयोग से ही संभव है।

मुख्य शब्द : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, लोकतांत्रिक प्रस्तावना

विश्व में कोई भी देश लोकतांत्रिक तब नहीं कहा जा सकता हैं जब तक वह अपने देश की भूमि पर रहने वाले नागरिकों को सामान्य और समान रूप से जनतंत्र निर्माण में सहभागिता का अधिकार नहीं देता है। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो विश्व पटल पर एक तीव्रतर अर्थव्यवस्था वाला देश बन रहा है। एक लोकतांत्रिक देश अपने देश के किसी भी व्यक्ति या समूह को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता के समय नई आशा और एक भविष्य देश के समुख था। देश के राजनीतिक कर्णधारों ने यह महसूस किया कि देश के दूर-दराज और जंगलों में रहने वाले बहुसंख्यक आदिवासियों के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। अतः भारतीय संविधान में जनजातियों के पूर्ण विकास हेतु विभिन्न उपबंध अनुच्छेदों और अनुसूचियों के माध्यम से किया गया है। “1931 की जनगणना में इन्हें ‘बहिष्कृत वर्ग’ के नाम से जाना गया तथा साइमन आयोग ने इस वंचित वर्ग को ‘अनुसूचित जाति’ की संज्ञा दी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा-279 में देश की 22 प्रतिशत जनता (7 प्रतिशत आदिवासी और 15 प्रतिशत निम्न श्रेणी की जातियों) के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर उत्थान किये जाने योग्य मानते हुये अनुसूचित किया गया। 1933 में मंदिर



जय शंकर सिंह
शोध छात्र,
प्रौढ़ शिक्षा विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर
विश्वविद्यालय,
सागर, म.प्र.

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

प्रवेश आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने इन्हें 'हरिजन' नाम दिया। 1970 में दलित पैंथर आन्दोलन में इन्हें 'दलित' की संज्ञा दी गई। नगरों और गाँवों की सम्भिता से दूर वन प्रदेशों अथवा पर्वतीय घाटियों में रहने वाले विकास की दृष्टि से अति पिछड़े कबीलों को आदिवासी कहा गया। (प्रिप्रेक्ष्य: कुमुस यदुलाल, अगस्त 2010)

भारतीय संविधान में समतामूलक तथा आदिवासी (जनजातीय) समाज के शैक्षिक विकास हेतु सम्बन्धित अनुच्छेद 15 (4), 29,30,45–46 और 350 (क) है। अनुच्छेद 45 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और अनुच्छेद 15(4), और 46 जैसे प्रावधान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक आदि हितों की रक्षा करना है। जनजातियों के शैक्षिक हितों को ख्याल रखकर ही तथा उनका उचित शैक्षिक प्रबन्धन करके ही उन्हें शैक्षिक उन्नति के मार्ग से देश व समाज की मुख्य विकास धारा में शामिल किया जा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 104281034 है जो देश की कुल आबादी 8.6 प्रतिशत है। इस कुल आबादी का केवल 2.8 प्रतिशत जनजातीय आबादी ही शहरों में रहती है तथा इनकी साक्षरता दर 58.96 प्रतिशत है।

इस आलेख का उद्देश्य है भारत में जनजातीय लोगों के शैक्षिक विकास हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की उनके शैक्षिक विकास में भूमिका का पता लगाना है।

जनजातीय कार्य मन्त्रालय (Ministry of Tribal Affairs, GOI) ने देश के विभिन्न राज्यों जैसे— मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, माणिपुर, त्रिपुरा आदि में जहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोग अधिकांशतः हैं। जिनके विकास एवं कल्याणार्थ हेतु मन्त्रालय (MTA) द्वारा NSTFDC- National scheduled Tribes Finance And Development Corporation (2001), TRIFED- Tribal co-operative Marketing Development Federation on India Limited (1987) जैसी योजनाएँ तथा शैक्षिक विकास हेतु अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएँ को संचालित कर रहा है।

साहित्यावलोकन

वेस्ली (2017) ने विद्यालयों में होने वाले भेदभाव के कई रूप बताये हैं यह भेद भाव समाज के वंचित तबकों को न सिर्फ विद्यालय की पहुँच से दूर करता है बल्कि उनमें इस भावना को भी और मजबूत करता है कि वे समाज के उस वर्ग से हैं जिन्हें अछूत कहा जाता है। मुख्य रूप देखा जाये तो दलित छात्रों में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण उनका सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलू है।

दलित बच्चों के साथ सामाजिक आधार पर होने वाले भेदभाव माध्यान्त भोजन योजना के अन्तर्गत भी पाया जाता है। प्राथमिक रूप से सरकार का यह लक्ष्य है कि वह विद्यालय में होने वाले भेदभाव को बचपन में ही समाप्त कर दे किन्तु सामाजिक आधार पर होने वाले भेदभाव वर्तमान में भी मौजूद है।

शाह (2017) मिड-डे-मिल स्कीम एण्ड डिस्क्रिमीनेशन : एन एनालिस्स, में बताया कि मिड-

डे-मिल योजना की कमी एवं मजबूती क्या है, यह समझने का प्रयास किया गया और इसके कारण किस प्रकार की विषमता समाज में आ रही है। अध्ययन में यह पाया गया कि मिड डे मिल योजना भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही साथ दलित रसोईयों का होना भी एक समस्या है।

दिवाकर (2014) ने बतलाया कि भारत में अभी अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत सामान्यजन की अपेक्षा उतना संतोषप्रद नहीं है। इन्होंने यह भी पाया कि भारत के जिन प्रान्तों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत के लगभग है वहाँ साक्षरता प्रतिशत काफी कम है जबकि कम जनसंख्या वाले प्रान्तों में यह प्रतिशत काफी ऊँचा है। उ.प्र. में जहाँ अनुसूचित जातियों की बहुलता है वही इनमें साक्षरता दर 26.9% है जबकि केरल राज्य में जनसंख्या कम है वहाँ 79.7% साक्षरता दर 2001 के अनुसार है। अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक निरक्षरता वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, म.प्र. प्रान्त हैं। जिनमें इन जातियों के निरक्षर लोगों का 46.3% भाग निवास करता है। इन्होंने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाया जाय जिससे कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो सके।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान कार्यक्रम, शिक्षा संवर्द्धन, सूचना, जनसंचार, जेन्डर सम्बन्धी मामलों के क्षेत्र में अत्याधिक ध्यान दे रहा है। शिक्षा के संवर्द्धन के लिए छात्रावासों (एस.सी., एस.टी. हेतु) योजना, आश्रम विद्यालय की स्थापना हेतु योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, अम्बैला योजना आदि योजनाएँ जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों के विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्ति में मददगार साबित हो रही हैं (प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2012)।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना का उद्देश्य खराब आर्थिक दशा और दूर-दराज अवस्थिति वाले जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास व्यवस्था देकर साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह योजना देश में सम्पूर्ण जनजातीय आबादी को आच्छादित करती है न क्षेत्र विशेष को। यह योजना संस्थानों के बिलकुल निकट या उसके एक अंश के रूप में स्थापित की जायेगी। योजना हेतु केन्द्र और राज्य के मध्य वित्तपोषण अनुपात 50:50 है तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र सौ फीसदी अनुदान देगी।

इस योजना के अन्तर्गत मिडिल, माध्यमिक, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए छात्रावास व भवन विस्तार का प्रावधान है। राज्य सरकारें निःशुल्क भूमि-भवन निर्माण हेतु प्रदान कर उनके रख-रखाव व क्रियान्वयन, चयन एजेंसियों की व्यवस्था करती

प्रतिभा उन्नयन योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सहित चहुँमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें। चयनित स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्ष से आरम्भ हो जाती है और 12वीं तक जारी रहती है। इसमें 30 प्रतिशत छात्राएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2014-2015 के दौरान के बजट आवंटन 1.5 करोड़ रुपये है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य पी.जी., पी.एच.डी. तथा पी.डी.एफ. अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए अधिकतम 17 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार तथा 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति दी जाती है। आयु सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा आय रुपये 6 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक “यात्रा अनुदान” भी प्रदान किये जाते हैं। 2014-15 के दौरान 1 करोड़ बजट आवंटन हुआ जिसमें 0.99 करोड़ रुपये खर्च (2014 के अन्त तक) हुये थे।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (RGNF)

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को M.Phil. और Ph.D. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत यू.जी.सी. अधि. की धारा 2(p) के अधीन यू.जी.सी. द्वारा मान्यता सभी विश्वविद्यालय / संस्थान कवर किये गये हैं।

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एस.सी. एस.टी विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जायेगी। जनजातीय कार्य मन्त्रालय की ओर से यू.जी.सी इस योजना को कार्यान्वयित करता है। 2014-15 के दौरान 90 करोड़ रुपये आवंटन किये गये हैं। अपनी शुरुआत से 31-12-2014 तक 3335 विद्यार्थियों को RGNF प्रदान की गई।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना (2007)

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली जनजातीय विद्यार्थियों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 213 संस्थाएँ हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्रों को कवर किया गया है। जिनमें प्रतिवर्ष कुल 625 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। लाभार्थी की पारिवारिक आय

है। वर्ष 2014-15 के दौरान रुपये 65.66 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई थी।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना का उद्देश्य देश में जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाना और उसका विस्तार करना है। आश्रम विद्यालय में आवासीय सुविधाओं सहित अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है यह योजना 22 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों को आच्छादित करती है। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के भवन से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धन राशि का प्रावधान है।

आश्रम स्कूल का निर्माण केन्द्रीय सहायता जारी होने के 2 वर्ष के भीतर किया जायेगा। वर्तमान में यह अवधि 12 महीने है। 2014-15 के दौरान इस योजना हेतु 47.82 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

1944-45 से लगातार चल रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना रुपये 2.5 लाख वार्षिक (1 अप्रैल 2013 के अनुसार) आय अथवा उससे कम आय वाले विद्यार्थियों के लिए है। योजना लाभ हेतु सम्बन्धित राज्यों के निवास का प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के लगाना पड़ता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कामर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स भी इस योजना में शामिल हैं। पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के, विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

पाठ्यक्रम

चार श्रेणियों में विभाजित है। छात्रवृत्ति की दरें रुपये 230 प्रति मास से लेकर रुपये 1200 प्रति मास हैं। इसके अलावा अनिवार्य शुल्क प्रतिपूर्ति का भी प्रवधान है। दृष्टिकोण विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता (Reader Allowance) का प्रवधान है तथा विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन (रुपये 100 प्रति मास) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है। 2014-15 के दौरान रुपये 1748.50 का बजट आवंटन की तुलना में 1748.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

पुस्तक बैंक योजना

यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों हेतु चालू की गई है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, पशुचिकित्सा, कृषि एवं पालीटेक्निक, कानून व्यापार, प्रबंधन, जैव विज्ञान आदि में पढ़ते हैं और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में वित्त पोषण अनुपात केन्द्र और राज्य का 50:50 है।

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

4.40 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर पोषित होगी तथा निधि सम्बन्धित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जायेगी। वर्ष 2014–15 के दौरान योजना के तहत 12.74 करोड़ रुपये आवंटित हुये तथा 7.09 करोड़ राशि खर्च की गई। दिसम्बर 2014 तक 53 संस्थानों में 343 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृत्ति प्रदान की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (1992–93)

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (1992–93) का उद्देश्य विभिन्न परम्परागत आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युगाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, सौजन्यदा आर्थिक प्रवृत्ति और बाजार सम्भाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्वनियोजित बनने में समर्थ बनायेगा। इसमें यथा सभ्व न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आवश्यक होंगी। योजना के अन्तर्गत स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को अधिकतम 5 ट्रेड प्रदान किये जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात् एक ट्रेड के लिए कम से कम प्रशिक्षार्थियों के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। 2014–15 के दौरान राज्यों के लिए 4.90 करोड़ रु. आवंटित किये गये तथा 31–12–14 तक 4.90 करोड़ रु. खर्च हुये हैं।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे एस. टी. के विद्यार्थियों के माता–पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की दर की घटना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, को कम से कम किया जा सके तथा कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर एस. टी. के विद्यार्थियों को भी सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें बेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें। लाभार्थी के माता–पिता/अभिभावक का वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2014–15 के दौरान 258.82 करोड़ रूप के बजट आवंटन की तुलना में 31–12–2014 तक 193.06 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अन्नेला योजना

शिक्षा को व्यक्तिगत परिवारों और सामाजिक स्तर दोनों पर विकास की रीढ़ समझा जाता है, किन्तु जनजातीय बच्चों को शिक्षित करना सरकार के लिए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितिक और प्रशासनिक कारणों से एक चुनौती रहा है अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सरकार के पहले और प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के बीच साक्षरता हमेशा कम रही है और महिला साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में कम है। जनजातीय

कार्य मन्त्रालय महत्वपूर्ण अन्तरालों को भरने के साथ–साथ शिक्षा योजनाओं को पुनः तैयार कर रहा है, जिसमें विद्यमान स्कीमों को अन्नेला योजना के तहत विलियत और जोड़ा जा रहा है। विद्यमान स्कीमों का विलय और पुनर्गठन, हस्तक्षेप के दायरे और लचीलेपन को बढ़ाएगा यह अपेक्षित है।

शिक्षा को पुनः संगठित करने का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसरंचना उपलब्ध कराना है और छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है।

अन्नेला योजना

जनजातीय कार्य मन्त्रालय के शिक्षा प्रभाग के अन्तर्गत आश्रम विद्यालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, छात्रावासों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, दसवीं पूर्व छात्रवृत्तियाँ और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ आदि स्कीमों को समाहित करेंगी। पूरे देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये जा रहे अनुसंधानों के समेकन हेतु NTRI (National Tribal Research Institute) की संकल्पना तैयार की है। जो अनुसंधान नीतिगत निवेश और मूल्यांकन अध्ययन को संचालित करेगा। ओडिशा, महाराष्ट्र म.प्र. तथा असम में एक–एक नोडल खोले गये हैं। जिनसे आदिवासी राज्यों में समूहों को जोड़ा गया है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु “शिक्षा का सुदृढ़ीकरण” योजना शुरू की गई। ताकि सामान्य जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के बीच साक्षरता के अंतर को कम किया जा सके।

इसके अलावा जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न राज्य अपनी–अपनी सुविधा और उद्देश्यों के आधार संचालित कर रहे हैं जैसे बिहार में दशरथ माँझी कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, महादलित क्रेश योजना आदि।

आज भारत में शैक्षिक प्रगति के कारण ही जनजातीय नागरिक देश के विभिन्न महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित पदों पर पहुँच रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग इनसे भेद–भाव करते हैं।

भारतीय सन्दर्भ में बैकिंग शिक्षा प्रणाली¹ का प्रभाव आज व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ता है। इन प्रभावों के शिकार विशेष रूप से परम्परागत उत्पीड़ित वर्ग एवं वर्ण (आदिवासी एवं हरिजन) हुये हैं। एक अध्ययन² में पाया गया कि प्रशासक से लेकर सर्वा अध्यापक प्रायः इस विश्वास के थे कि यह जालि, काहिल, जंगली जाति (आदिवासी) कभी सभ्य नहीं बन सकती। इनकी शिक्षा पर सरकार जो खर्च कर रही है, वह सब व्यर्थ है, क्योंकि आदिवासी अपनी जंगली व्यवस्था से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं।

स्पष्ट शब्दों में आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधि उन्हें निम्न कोटि का इन्सान मानते थे। परन्तु यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो कुछ आदिवासियों को पहले से पढ़ाया जा रहा है, अप्रासंगिक है। राष्ट्रीय मुख्य धारा में विलय के नाम पर छात्रावासों में रामायण और हनुमान

चालीसा का पाठ अबोध आदिवासी छात्रों पर लाद दिया गया था, जो कि उनके लिए सर्वथा अप्रासंगिक था और उनकी परिस्थिति जन्य वास्तविकताओं से कर्तई मेल नहीं खाता था।

कांचा इलैया ने स्कूली संरचना के व्यावहारिक स्तर को परिलक्षित करते हुये कहा है—विद्यालय के अध्यापक का हमारे प्रति रवैया उसका जातीय पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अगर वह ब्राह्मण होता तो हमसे घृणा करता। वह हमारे सामने ही हमसे कहता कि कालयुग या बुरे समय का ही असर है कि उसे हमारे जैसे शूद्रों को पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन आजादी मिलने के बाद जब विद्यालय हमारे लिए खोल दिये गये तब वहाँ विद्यालय के अध्यापक हमारे खिलाफ थे। पाठ्यपुस्तकों की भाषा हमारे खिलाफ थी। हमारे घरों में जो संस्कृति थी, वही संस्कृति हमारे विद्यालयों में नहीं थी।³ ज्ञा एवं झीगरन (2002) एक अध्ययन में पाते हैं कि “दलित बच्चे अनावश्यक रूप से शरीरिक एवं मानसिक यातना झेलते हैं। शिक्षक दलित बच्चों में या उनकी परिस्थिति सकारात्मक बदलाव को लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखाते हैं, उनके अनुसार दलित अकर्मण्य है। आज भी दलितों को शैक्षणिक संरक्षणों में विभिन्न प्रकार के भेद-भाव का शिकार होना पड़ता है। यह भेदभाव मूलरूप से शिक्षकों का पढ़ाई के प्रति दूरी बरतने एवं शिक्षकों का दलित बच्चों के अलगाव की प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिलता है। अतः यह भेदभाव निश्चित रूप में जन्म आधारित है न कि उसके ज्ञान एवं वैयक्तिक गुण पर आधारित है।”

जनजातीय लोग भारत के आदिवासी (प्रारंभिक निवासी) होने के बावजूद काफी समय तक उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया जिससे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2012 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 19.4 है। जबकि अनुसूचित जनजातियों का सकल नामांकन अनुपात मात्र 9.7 प्रतिशत है।

निष्कर्ष

इस प्रकार अन्त में यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न योजना के अध्ययन के उपरान्त भारत में अनुसूचित जनजातीय विकास हेतु जो योजनाएं चलायी गयी उससे उनका शैक्षिक विकास हुआ है, जिसके कारण वे लोग भी मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि उनके सर्वांगीण विकास के लिये सरकारी मशीनरी के साथ-साथ नागरिकों का भी रचनात्मक सहयोग प्राप्त हो जिससे सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र में भी अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित हो और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- यदुलाल, कुसुम (2010), ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्कूली छात्राओं की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याएं’, परिप्रेक्ष्य वर्ष 17, अंक 2, न्यूपा, नई दिल्ली, पृ. 63-88

- S.J. Wesly, Kumar. (2017). *The forms of exclusion of School: A case of dalit children in hyderabad Slums, IORS, Journal of Huminites and Social Science*, Vol. 22, Issue-09, pp. 14-20.
- Shah, Priyambada. (2017). *Mid-day-Meal Scheme and discrimination: An Analysis IERJ*, Vol. 03, No. 06, 2017, pp. 26-27.
- दिवाकर, डॉ. संगीता (2014). ‘अनुसूचित जातियों में शिक्षा का प्रसार : एक सूल्यांकन’, सामाजिक सहयोग, वर्ष-14, अंक 54-55, शोध प्रबन्धन अभिषद, उज्जैन (म.प्र.), पृष्ठ 31-35.
- डॉ. अञ्जुबाला (2000). जनजातियों की राजनीतिक संस्कृति, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दरियागंज नई दिल्ली
- जेरी, रामशरण. (2003). ‘आदिवासी समाज और शिक्षा’, ग्रन्थ शिल्पी (इण्डिया) प्रा. लि. नई दिल्ली, पृ. 121, 123
- रजा, मुनिस अनुवादक सुंजाता राय (2012), शिक्षा और विकास के सामाजिक आयाम, ग्रन्थ शिल्पी (इण्डिया) प्रा. लि. नई दिल्ली-110002, पृ. 53-82
- इलैया, कांचा (2003), क्वाई एम नाट हिन्दू समय पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 11-14
- ज्ञा एवं झीगरन (2002) द स्कूलिंग आफ दलित चिल्डेन: ए पंडोरास बाक्स इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन फज़र द पूअरेस्ट एण्ड द डिप्राइव्ड युप्स: द रियल चैलेन्ज आफ यूनिवर्सलाइजेशन : सेटर फार पालिशी रिसर्च, नई दिल्ली, पृ. 96
- डा. ब्रह्मदेव शर्मा (1997), आदिवासी स्वशासन, प्रकाशन संस्थान, दरियागंज नई दिल्ली, पृ. 77
- शर्मा, डॉ. संतोष (2003), दलित समाज दशा व दिशा, सामाजिक सहयोग, अंक 46 (अप्रैल-जून), श्रीकृष्ण संस्थान, उज्जैन, म.प्र., पृ. 32
- नागर, डॉ. वी.डी. एवं के.बी. पन्त (1995), ‘डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार व नीतियाँ, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल म.प्र.
- दलित दस्तक: अगस्त (2015) अंक 3 वर्ष 4
- प्रप्रियेक्ष्य : वर्ष 18 अंक 3, दिसम्बर (2011), दिल्ली पेज-43, 45
- प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2014, पृ. 78
- जनजाति कल्याण एवं विकास वार्षिक रिपोर्ट (2014-15), जनताजीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार।
- पूरनचंद जोशी (2013), ‘भारत में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास’, ग्रन्थ शिल्पी (इण्डिया) नई दिल्ली
- डॉ. गोवर्धन बख्ती (1975), अच्छी शिक्षा की ओर, नई दिल्ली।
- एस.सी. शुक्ल एवं कृष्ण कुमार (2008), शिक्षा का सामजशास्त्रीय सन्दर्भ ग्रन्थ शिल्पी (इण्डिया लिमिटेड) नई दिल्ली, 327-344
- कुमार, संजीव (2011), ‘बिहार के महादलित बालकों की शिक्षा एवं उनका समावेशी विकास’ परिप्रेक्ष्य, वर्ष 18, अंक 3, न्यूपा, नई दिल्ली, पृ. 43-45

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

21. यादव, शरद कुमार (2013), 'भारत में जनजातीय समुदाय के लिए शिक्षा और विकास की नीतियाँ', परिप्रेक्ष्य, वर्ष 20, अंक 2, न्यूपा, नई दिल्ली, प. 1-20

22. <http://www.tribal.nic.in>

23. <http://www.tribal.nic.in>

24. <http://www.tribal.nic.in>

पाद टिप्पणी

1. विद्यक द्वारा दिये गये 'विवरणों को ग्रहण करने संग्रह करने तथा उन्हें क्रम लगाने' की शिक्षा।

2. बस्तर जिले (म.प्र.) के आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा का अध्ययन : बहादेव शर्मा 1976-77

3. इलैया, कांचा (2003) वाई आई एम नाट हिन्दू समय पञ्चिकेशन, नई दिल्ली।